विविध बैंक प्रकरण सं0 80/2018 (RCMS 2018/00150) आईडीबीआई बैंक लि., शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री राकेश कुमार सिंघल निवासी मका नं 183 विनोबा बस्ती, बाल निकेतन स्कूल के पास, श्रीगंगानगर एवं 106 बापू नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी श्री राकेश कुमार सिंघल को ऋण सुविधा के रूप में 5.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री राकेश कुमार सिंघल की TATA Indigo ECS LXTDI BS III, REG No. - RJ-13 Temp-CB384607, Engine No 4751DT14BVYP07386, Chassis No. MAT607341EPB4672 है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 03.01.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 06.12.2017 को 7,43,313/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थी को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.12.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी ऋणी जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीग द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री राकेश कुमार सिंघल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई स्वयं श्री राकेश कुमार सिंघल की उक्त चल सम्पति TATA Indigo ECS LXTDI BS III, REG No. - RJ-13 Temp-CB384607, Engine No 4751DT14BVYP07386, Chassis No. MAT607341EPB4672 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी ऋणी श्री राकेश कुमार सिंघल को 5.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री राकेश कुमार सिंघल द्वारा अपनी चल सम्पत्ति TATA Indigo ECS LXTDI BS III, REG No. - RJ-13 Temp-CB384607, Engine No 4751DT14BVYP07386, Chassis No. MAT607341EPB4672 जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवंम शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **03.01.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.12.2017 करे भिजवाये गये।** धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति की पोस्ट ऑफिस की Acknowledgement रसीद संलग्न है। जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसप्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के **बाबजूद भी अप्रार्थी ने प्रार्थी बैक** की बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **चल सम्पत्ति** TATA Indigo ECS LXTDI BS III, REG No. - RJ-13 Temp-CB384607, Engine No 4751DT14BVYP07386, Chassis No. MAT607341EPB4672 **जो ऋणी श्री राकेश कुमार सिंघल के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.12.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 28.12.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी 1. श्री राकेश कुमार सिंघल के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की Acknowledgement रसीद संलग्न है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री राकेश कुमार सिंघल द्वारा बंधक रखी गई उक्त टाटा इंडिगो कार का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी आई.डी.बी.आई, बैंक लि., शाखा श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई चल सम्पत्ति TATA Indigo ECS LXTDI BS III, REG No. - RJ-13 Temp-CB384607, Engine No 4751DT14BVYP07386, Chassis No. MAT607341EPB4672, जो कि ऋणी श्री राकेश कुमार सिंघल के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर